तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कल्पेश बुच बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 232/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.23	अपीलार्थी कल्पेश बुच पुत्र किरीट कुमार निवासी 17/672, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.05.2023. में उसके द्वारा (1) संविदा कर्मचारी होम्योपेशी डाक्टर गरीमा बोहरा द्वारा फर्जी शपथ पत्रों एवं दस्तावेजो की प्रतिलिपिं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1138 दिनांक 19.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि आवक लिपिक, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी कल्पेश बुच के आवेदन में वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2023 का कार्यालय में आना नहीं पाया गया जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध करया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1026 दिनांक 21.08.2023 द्वारा सूचित किया जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कार्यालय में आना नहीं पाया गया अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	